मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)
द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल – 462011

क्रमांक/7364 /MIS/NR-10/MGNREGA-MP/13 भोपाल, दिनांक 29/08/2013

प्रति,

1. कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक,
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त कार्यक्रम समन्वयक,
   महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.,
   जिला पंचायत .... (समस्त)
   मध्यप्रदेश

विषय :– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के हस्तांतरण के संबध में।

---0---

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अन्य जिले/जनपद पंचायत से ट्रांसफर होकर यदि आपके जिले में पदभार ग्रहण कियें हैं, तो उनका सम्पूर्ण विवरण परिषद् मुख्यालय को भेजें, जिससे उनके डिजिटल सिगनेचर की अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

उक्त के संबंध में पुनः स्मरण कराया जा रहा है कि डिजिटल सिगनेचर अहस्तांतरणीय है। अतः स्थानांतरण की स्थिति में डिजिटल सिगनेचर संबंधित जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी का ही उपयोग किया जाना आवश्यक है। यदि किसी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत का हस्तांतरण एक जनपद से दूसरी जनपद में हुआ है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित जनपद मूल दस्तावेज के साथ नवीन जनपदों में पंजीयन करेंगे, तद्उपरान्त वे नवीन पदस्थापना जनपद से एफटीओ जनरेट कर सकते हैं। इसके लिये आवश्यक है कि अभी पदस्थापना की जानकारी परिषद मुख्यालय को दें, जिससे पूर्व पदस्थापना के डिजिटल सिगनेचर को रिवोक/विलोपित किया जा सके एवं नवीन पदस्थापना पंजीयन का प्रावधान खोला जा सके।

अतः अनुरोध है कि शीघ्र ही नवीन पदस्थापना अनुसार पदभार ग्रहण की जानकारी परिषद मुख्यालय को देने का कष्ट करें।

29/8/13

(डॉ रवीन्द्र पस्तोर)
आयुक्त
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद,
भोपाल